



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 17 मई, 2001 ई०

बैशाख 27, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 08/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001

देहरादून, 17 मई, 2001

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां एवं पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक 2001 पर दिनांक 17 मई, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 08 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन)
(उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल, (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1980) का उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

2-मूल अधिनियम में जहां-जहां-

(1) "या परिषद्" आया है, उसे हटाया गया समझा जायेगा।

(2) "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" रख दिया जायेगा।

(3) "लखनऊ" के स्थान पर "देहरादून अथवा जहां भी राजधानी हो" रख दिया जायेगा।

धारा 5(1)
का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 5 (1) में "तिरानवे हजार रुपये" के स्थान पर "साठ हजार रुपये के रेलवे कूपन के बराबर की धनराशि डीजल व्यय हेतु तथा शेष धनराशि तैंतीस हजार रुपये के रेलवे कूपन" रख दिया जायेगा।

धारा 16 का
संशोधन

4-(1) मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) तथा (3) में शब्द "तीन सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "सात हजार पाँच सौ रुपये" रख दिया जायेगा।

(2) मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा-

"परन्तु सरकारी आवास सदस्य को आवंटित होने की दशा में यह धनराशि देय नहीं होगी"।

आज्ञा से,
पी० सी० पन्त,
सचिव।

No. 08/Vidhayee Evam Sansadiya Karya/2001

Dated Dehradun, May 17, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Legislature (Emoluments and Pension of Member's) (Uttaranchal Amendment) Bill, 2001 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 08 of 2001).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on May 17, 2001.

THE UTTAR PRADESH LEGISLATURE (EMOLUMENTS AND PENSION OF MEMBER'S) UTTARANCHAL AMENDMENT ACT, 2001

To amend the Uttar Pradesh Legislature (Emoluments and Pension of Member's) Act, 1980 in its applicability to Uttaranchal.

AN
ACT

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-Second Year of the Republic of India as follows:-

Short title
and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Legislature (Emoluments and Pension) Act, 1980 (Uttaranchal Amendment) Act, 2001.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification appoint in this behalf.

2. Wherever in Principal Act--

(1) "or council" occur it be deemed committed.

(2) The word "Uttaranchal" is substituted for the words "Uttar Pradesh".

(3) The word "Dehradun or wherever the Capital exists" are substituted for the words "Lucknow".

Amendment of
section 5(1)

3. In sub-section (1) of section 5 hereinafter referred to as the Principal Act -- The words "Expenses of diesel equivalent to the amount of Railway coupon for Rupees Sixty Thousand and the balance Thirty Three Thousand as Railway coupon" are substituted for the words "Ninety Three Thousand"

4. (1) In sub-section (2) and (3) of section 16 of the Principal Act, words "Seven Thousand Five Hundred" are substituted for words "Three Hundred" following proviso is added to--

Amendment of section 16

(2) Sub-section (2) of section 16 of the Principal Act--

"Provided that when official accomodation is allotted to a member, the amount shall not be payable".

By Order,

(P. C. PANT)

Sachiv.